दिनांक 18.07.2021
प्रेस विज्ञप्ति 18/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद प्रयागराज/थाना कैण्ट

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित सहित 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **06 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 17.07.2021 को थाना कैण्ट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेली चौराहे के पास चेकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–रामू उर्फ राजकुमार 2–प्रेम कुमार सहित 05 अभियुक्तों 3–मोहम्मद साद 4–मो0 मैनुद्दीन 5–सुनीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 06 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रामू उर्फ राजकुमार व प्रेम कुमार के विरूद्ध जनपद प्रयागराज व राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी आदि के 05–05 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त रामू उर्फ राजकुमार व प्रेम कुमार थाना कैण्ट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 224/2021 धारा 399/401/411/413/414/420/467/468/471/474 भादवि में वांछित चल रहे थे। जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामू उर्फ राजकुमार निवासी सिलवलिया बुचियान थाना सिलवलिया जनपद गोपालगंज बिहार।

2–प्रेम कुमार निवासी बरूवाकलां थाना बसन्तपुर जनपद सिवान बिहार।

3–मोहम्मद साद निवासी इंगलिश थाना मैरवा जनपद सिवान बिहार।

4–मो0 मैनुद्दीन निवासी बिनसार थाना महदेवा ओपी जनपद सिवान बिहार।

5–सुनीत निवासी बैना थाना घोषी जनपद जहाँनाबाद बिहार।

बरामदगी

1–06 चार पहिया वाहन।

जनपद फिरोजाबाद/थाना एका

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 17.07.2021 को थाना एका पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर केलई पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त उपेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना एका पर पंजीकृत मु0अ0सं0 04/2021 धारा 382/506/511 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना एका पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–उपेन्द्र निवासी नगला जईया थाना एका जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस।

जनपद अयोध्या/थाना कुमारगंज

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 18.07.2021 को थाना कुमारगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जोरियम ग्राम के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मोनू उर्फ सत्यम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कुमारगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 48/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कुमारगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोनू उर्फ सत्यम निवासी रौहारी थाना हैदरगंज जनपद अयोध्या।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद गोरखपुर/थाना कैण्ट

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के 30 हजार रूपये नगद, पासबुक, एटीएम कार्ड**
- **चोरी की 03 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 मिस कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 18.07.2021 को थाना कैण्ट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अण्डरपास रेलवे कालोनी से 04 अभियुक्तों 1–सोनू कुमार 2–स्वारथ

प्रसाद 3–दीपक कुमार 4–जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट/चोरी के 30 हजार रूपये नगद, पासबुक, एटीएम कार्ड, चोरी की 03 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 मिस कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद कुशीनगर, गोरखपुर, के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सोनू कुमार निवासी जागीर कररिया थाना कोटवा जनपद पूर्वी चम्पारण बिहार।

2–स्वारथ प्रसाद निवासी जागीर कररिया थाना कोटवा जनपद पूर्वी चम्पारण बिहार।

3–दीपक कुमार निवासी बरजी थाना मोतीपुर जनपद मुजफ्फरपुर बिहार।

4–जितेन्द्र निवासी मथुरापुर थाना तुर्कोलिया जनपद पूर्वी चम्पारण बिहार।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट/चोरी के 30 हजार रूपये नगद, पासबुक, एटीएम कार्ड।

2–चोरी की 03 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 मिस कारतूस आदि।

<u>जनपद अयोध्या/थाना कोतवाली नगर</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की चैन, 15 हजार 720 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 18.07.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुलाबबाड़ी मैदान के सामने देवकाली रोड से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों

1–मो0आदिल 2–जयसिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट की चैन, 15 हजार 720 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 456/2021 धारा 392 भादवि व मु0अ0सं0 458/2021 धारा 392 भादवि तथा थाना कोतवाली अयोध्या पर पंजीकृत मु0अ0सं0 342/2021 धारा 356 भादवि के अभियोग में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व लूटे गये माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद चैन व रूपये उक्त अभियोगों से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 आदिल निवासी सब्जी मण्डी सुभाष नगर थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।

2–जयसिंह निवासी गढ़ा पूरे अस्थाना थाना इनायतनगर, हालपता गद्दोपुर थाना खण्डासा जनपद अयोध्या।

बरामदगी

1–लूट की चैन, 15 हजार 720 रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना अलीगंज

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 05 ई–रिक्शा, 03 बैट्री बरामद**

दिनांक 18.07.2021 को थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरनिया पुल के पास से अभियुक्त अनुज कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का

अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 05 ई–रिक्शा, 03 बैट्री बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.07.2021 को थाना अलीगंज क्षेत्रान्तर्गत चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अलीगंज पर मु0अ0सं0 138/2021 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद ई–रिक्शा चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अलीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनुज कुमार निवासी सन रेजीडेंसी थाना जानकीपुरम लखनऊ।

बरामदगी

1–चोरी के 05 ई–रिक्शा, 03 बैट्री।

जनपद सोनभद्र/थाना राबर्ट्सगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 32 लाख रूपये कीमत के 03 कुन्तल 19 किलो 220 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 ट्रक, मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 17.07.2021 को थाना राबर्ट्सगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छपका पावर हाऊस के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–जीतू 2–रिजवान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 32 लाख रूपये कीमत के 03 कुन्तल 19 किलो 220 ग्राम अवैध गांजा, 01 ट्रक, मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना राबर्ट्सगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जीतू निवासी बाकलपुर थाना शम्शाबाद जनपद आगरा।

2–रिजवान निवासी बोदला थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

बरामदगी

1–लगभग 32 लाख रूपये कीमत के 03 कुन्तल 19 किलो 220 ग्राम अवैध गांजा।

2–01 ट्रक, मोबाइल फोन आदि।

एस0टी0एफ0– अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना एवं पूर्व में भारी मात्रा में पकड़ी गयी अफीम के अभियोग में वांछित गुड्डू सैफी को उसके 02 सक्रिय सदस्यों को 3,900 किलोग्राम अफीम के साथ किया गया गिरफ्तार।

दिनॉकः 18–07–2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना एवं पूर्व में भारी मात्रा में पकड़ी गयी अफीम के अभियोग में वांछित गुड्डू सैफी को उसके 02 सक्रिय सदस्यों को 3.900 किलोग्राम अफीम के साथ किया गया गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. गुड्डू सैफी पुत्र स्व0 अलीजान सैफी नि0 41–सरदार नगर, थाना–भमौरा, बरेली।
2. संजीव कुमार शर्मा पुत्र कड़ेराम नि0 बल्लिया, फरीदपुर, थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली।
3. विरेन्द्र पुत्र सेवाराम नि0 रजवाड़ा थाना पटवाई, रामपुर।

कुल बरामदगीः–

1. 3.900 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ (अफीम)।
2. एक अदद ट्रक नं0–UP-25DT-9833
3. 5230/– रूपये नकद।
4. 03 अदद मोबाईल फोन।
5. 1 अदद एटीएम कार्ड।
6. 1 अदद पैन कार्ड।
7. 2 अदद वोटर आईडी कार्ड।
8. 2 अदद ड्राइविंग लाइसेन्स।
9. 3 अदद आधार कार्ड।

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः–

दिनांक 18.07.2021 समय 06.30 बजे सुबह लोहिया नगर बैरियर के पास, थाना–अन्तू जनपद–प्रतापगढ़।

एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को विगत कुछ दिनों से झारखण्ड राज्य से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री अमित कुमार नागर, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। अभिसूचना संकलन के दौरान जानकारी हुई थी, कि बड़े स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना अपने कुछ साथियो के साथ झारखण्ड राज्य के राची से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ (अफीम) लेकर बरेली जाने वाला है। जिस सूचना पर एक टीम गठित कर उस गिरोह के 02 सक्रिय सदस्यों को दिनांक 15–06–2021 को थाना क्षेत्र गाजीपुर, जनपद–लखनऊ से भारी मात्रा में अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया था कि इस अवैध कारोबार का मुख्य सरगना गुड्डू सैफी है, जिसका अवैध

मादक पदार्थ तस्करी का बहुत बड़ा गिरोह है, जो झारखण्ड राज्य से भारी मात्रा में अफीम मंगाता है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में सप्लाई कराता है। वह लोग इसके लिए ही काम करते थे। साथ ही यह भी ज्ञात हुआ था कि दिनांक 15—07—2021 को इन लोगों के साथ गुड्डू भी था, जो दूसरी गाड़ी में इनके पीछे चल रहा था, इन लोगों के गिरफ्तारी की जानकारी होते ही गुड्डू सैफी भाग गया। इस सम्बन्ध में थाना गाजीपुर पर मु0अ0सं0 331/2021 धारा 8/21/23ग एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें इस गिरोह का सरगना गुड्डू सैफी वांछित चल रहा था।

अभिसूचना संकलन के दौरान आज दिनांक 18—07—2021 को मु0आ0 रूद्रनारायण उपाध्याय को सूचना मिली कि थाना गाजीपुर पर पंजीकृत मुकदमे में वांछित एवं अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना अपने कुछ साथियों के साथ रॉची गया था जो प्रतापगढ़ होते हुए बरेली वापस जायेगा। इस सूचना पर निरीक्षक श्री दिलीप कुमार तिवारी, उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय, रूद्रनारायण उपाध्याय, आरक्षी कौशेलेन्द्र सिंह, विजय वर्मा व आरक्षी चालक संजय की एक टीम गठित की गयी एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के उद्देश्य से जनपद प्रतापगढ़ के थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से ज्ञात स्थान पर पहॅुचकर उपरोक्त गुड्डू सैफी को उसके गैंग के 02 अन्य सक्रिय सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त गुड्डू उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कराता है, जिसका एक बहुत बड़ा गिरोह है, यह बरामद ट्रक उसका स्वयं का है, जिससें उसके द्वारा माल ढुलाई के नाम पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी विगत कई वर्षो से की जा रही है। राची (झारखण्ड) में अमर नाम के व्यक्ति से अफीम खरीदता हैं, जिसे लाकर वह उत्तराखण्ड में पन्तनगर के डाल चन्द्र नाम के व्यक्ति को, हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के बरेली आदि स्थानों पर सप्लाई कराता है। रांची से 01 लाख रूपये प्रति किग्रा की दर से खरीदता है और यहॉ पर लगभग दुगने दाम पर सप्लाई कराता है। इसके द्वारा इस अवैध कारोबार में संजीव शर्मा व विरेन्द्र उपरोक्त

सहयोग करते है। जिसके एवज में यह अपने मुनाफे में से कुछ हिस्सा इन लोगों को भी दिया जाता है। मादक पदार्थ की तस्करी में यह पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है। अभी पिछले महीने राची से यह माल (अफीम) लेकर बरेली जा रहा था, कि जनपद लखनऊ के थाना क्षेत्र गाजीपुर में इसके 02 साथियों को एसटीएफ द्वारा कर लिया गया था और यह दूसरी गाड़ी में बैठा था, जिससे मौका पाकर भाग गया था।

बरामद अवैध अफीम तथा ट्रक को थाना अन्तू जनपद–प्रतापगढ़ में दाखिल कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0सं0– 294/2021 धारा 8/21/23ग एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है।

एस0टी0एफ0– दिनांक 19/20.08.2020 की रात्रि में क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा निवासी पठानकोट (पंजाब) के घर में घुसकर उनकी हत्या एवं परिवार के अन्य सदस्यों को घायल कर डकैती डालने में वांछित डकैत छज्जू छैमार को एसटीएफ उ0प्र0 ने बरेली से किया गिरफ्तार।

दिनांकः 18–07–2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को, क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा निवासी पठानकोट (पंजाब) के घर में दिनांक 19/20–08–2020 की रात्रि में घुसकर उनकी हत्या एवं परिवार के अन्य सदस्यों को घायल कर डकैती डालने में वांछित डकैत छज्जू छैमार को बरेली से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

छज्जू छैमार उर्फ बाबू मियॉ पुत्र मुस्ताक नि0 पचपेड़ा थाना–बहेड़ी, जनपद–बरेली।

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थानः–

दिनांक 18–07–2021 को ग्राम पचपेड़ा थाना क्षेत्र बहेड़ी, जनपद बरेली।

वॉछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरूद्ध एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध मे श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण मे निरीक्षक श्री अजय पाल सिंह एसटीएफ फील्ड इकाई, बरेली के नेतृत्व मे एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि पंजाब प्रान्त के पठानकोट में भारत के मसहूर क्रिकेटर सुरेश रैना के रिस्तेदार के घर में घुसकर डकैती डालने वाले छैमार गिरोह का एक सदस्य जो उस घटना में वांछित है, वह अपने गांव में छिपकर रह रहा है। इस सूचना को पंजाब पुलिस से साझा करते हुए उन्हे बरेली बुलाया गया। आज दिनांक 18—07—2021 को एसटीएफ फील्ड इकाई बरेली द्वारा पंजाब पुलिस एवं स्थानीय पुलिस को साथ लेकर छज्जू छैमार को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह अपने साथी सावन, मोहब्बत, शाहरूख, नौसे, राशिद, आमिर व 03 महिलाओं के साथ शाहापुर कॉडी में रहकर चादर व फूल बेचते थे। इन लोगों के पास एक टैम्पों था, जिससे यह लोग क्षेत्रों घुमते थे और घटना करने के बाद अपना डेरा उठाकर फरार हो जाते थे। इनके टीम की महिला सदस्यों द्वारा घर की रैकी की जाती थी, यही महिलाएं दिन में ही फूल बेचने के बहाने अशोक कुमार के घर में घुस गयी और जानकारी इकठ्ठा कर ली। इसके बाद अपने गैंग के सदस्यों को सारी जानकारी दे दी एवं अशोक कुमार का घर चिन्हित करा दिया, जिसमें यह लोग रात्रि में घुसकर छत पर सो रहे पुरूष, महिलाओं एवं बच्चों को डण्डे से मारकर घायल कर दिये, उसके बाद घर मे रखे जेवर व पैस लूटकर फरार हो गये। जिसमें इसके कुछ साथी बाद मे पकड़े गये। यह वहॉ से भागकर हैदराबाद चला गया गया और कुछ दिन बाद वहॉ से लौटकर अपने गॉव आ गया और छिपकर रहने लगा।

उल्लेखनीय है कि इन लोगो ने क्रिकेटर सुरैश रैना के फूफा अशोक कुमार पठानकोट (पंजाब) में रहकर ठेकेदारी का काम करते थे। उन्होने ने अपना मकान आबादी से छोड़ी दूर ग्राम थरियाल में बनाया था। मकान गॉव से बाहर होने के कारण डकैतो को उसकी रैकी करने एवं घटना करने में काफी आसानी हो गयी। दिनांक

19 / 20—08—2020 की रात्रि में डकैतों द्वारा छत पर चढकर सो रहे व्यक्तियों को घायल कर दिया गया था जिसमें अशोक कुमार की मृत्यु हो गयी तथा उनकी मॉ श्रीमती सत्या देवी, पत्नी आशा देवी व 02 बच्चे गम्भीर रूप घायल हो गये थे। जिस सम्बन्ध में थाना शाहपुर कॉडी पर मु0अ0सं0 153 / 2020 धारा 458, 459, 460, 302, 307, 148, 149 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें छज्जू छैमार वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना बहेडी, बरेली पर दाखिल कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही थाना शाहापुर कॉडी, पठानकोट पंजाब पुलिस द्वारा की जा रही है।

————————